

आदेश

उपायुक्त, रोहतक के पत्र क्रमांक 948/पं0 दिनांक 03.03.2025 द्वारा की गई सिफारिश अनुसार ग्राम पंचायत गद्दी खेडी, खण्ड व जिला रोहतक के सरपंच द्वारा बुलाई गई बैठकों में पंचों द्वारा भाग नहीं लेने तथा विकास कार्यों में सहयोग एवं रुचि नहीं लिये जाने के फलस्वरूप ग्रामवासियों के हित में ग्राम पंचायत गद्दी खेडी के रुके हुये विकास कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, रोहतक को आगामी आदेशों तक हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 49 में वर्णित प्रावधान के तहत ग्राम पंचायत गद्दी खेडी का प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

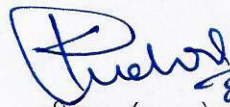
चण्डीगढ़, दिनांक
17.04.2025

अमित कुमार अग्रवाल, आई0ए0एस0
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास एवं पंचायत विभाग,

पृ0 क्रमांक ई0सी0ए02-2025/19632-37 दिनांक 28.4-25
इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:-

1. उपायुक्त, रोहतक को उनके सिफारिश पत्र क्रमांक 948/पं0 दिनांक 03.03.2025 के संदर्भ में एवं ग्रामवासियों के हित के मद्देनजर ग्राम पंचायत गद्दी खेडी में खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी रोहतक को प्रशासक नियुक्त करते हुए आपको लिखा जाता है कि बैठक में भाग नहीं लेने एवं ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को सुचारु रूप से चलाने में सहयोग एवं रुचि नहीं लेने वाले पंचों के विरुद्ध विधिवत् रूप में नियमानुसार बनती कार्यवाही अमल में लाई जाए।
2. अतिरिक्त उपायुक्त, रोहतक।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, रोहतक।
4. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, रोहतक।
5. कार्यकारी अभियन्ता(आई0टी0) मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर आदेश को अपलोड करने हेतू।
6. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, रोहतक।

Mohit


28/04/2025

अधीक्षक (चुनाव)

कृते: आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास एवं पंचायत विभाग।